न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 02/2020
जी.सी.एम.एस नम्बर– 2020/00039

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट :–**

मदनसिंह पुत्र मुराद काठात जाति मेहरात
निवासी चांग तहसील रायपुर जिला पाली

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सेन्दडा, जिला पाली
2. पटवारी हल्का चांग तहसील रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री सदाम काजी विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06.04.22

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सेन्दडा के प्रकरण संख्या 187/2020 बअनवान सरकार बनाम मदन में नायब तहसीलदार सेन्दडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का चांग की रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 के आधार पर दिनांक 07.02.2020 को धारा 91 एल.आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया तथा बताया गया कि खसरा नम्बर 2054 में अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया, जिसके संबध में न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2020 की तारिख पेशी का नोटिस जारी करके दिनांक 11.02. 2020 को ही प्रकरण का निस्तारण कर अपीलाण्ट को बेदखल करने व कब्जा राजहित में लेने का आदेश पारित किया गया जबकि मौके पर अपीलाण्ट के माता–पिता के समय का मकान भी बना हुआ है, व उक्त भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, जिसके संबध में वाछिंत दस्तावेजात् पत्रावली में सलंग्न है। अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा नोटिस अपीलाण्ट को तामिल करवाये बिना चार दिवस में आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर लगभग 25–30 वर्ष पुराना निर्माण हो रखा है, ग्राम चांग मगरा क्षैत्र में स्थित है एवं पुरा गांव यही बसा हुआ है। अपीलाण्ट को बिना पर्याप्त अवसर दिये बिना बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व है। अपीलाण्ट ने गैर आराजी पर पक्का निर्माण करवा रखा है जिसे बिना कलेक्टर की आज्ञा से निर्माण ध्वस्त करने व अपीलाण्ट को बेदखल करने का तहसीलदार को अधिकार नही है। पक्का निर्माण के संबध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार धारा 91(1) के अनुसार जिला कलक्टर को है। तहसीलदार ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जैर अपील आदेश पारित किया है। यह विधि के प्रावधानों के विरूद्व है। अगर पटवारी हल्का चांग के अनुसार अपीलाण्ट अतिक्रमी है तो राज्य सरकार शास्ति लेकर धारा(4) के अनुसार निर्णय कर धारा 86 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई नजुल भूमि व अन्य कोई भूमि हो तो प्रिमियम लेकर अपीलाण्ट के पक्ष में नियमित करना चाहिए था। तहसीलदार को अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नही है। पटवारी हल्का चांग की रिपोर्ट को ही अंतिम साक्ष्य होना मानकर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का निर्णय पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का चांग की रिपोर्ट में यह कही दर्ज नही है कि अपीलाण्ट का मकान कब से बना हुआ है निर्मित मकान व कमरे की किमत लगभग 5,00,000/– रूपये

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। अपीलाण्ट को प्रकरण दर्ज होने की सूचना तब हुई जब हल्का पटवारी चांग अपीलाण्ट के मकान को तोडने हेतु मौके पर आये। उक्त मकान अपीलाण्ट के पिता द्वारा बनाया गया एंव अपीलाण्ट उसमे निवास कर रहा है। अपीलाण्ट ने बडी मुश्किल से पैसे इकठ्ठे कर के मकान बनाया है जिसे तहसीलदार तोड़ने को आमादा है, जो गैर वाजिब है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर. सी. 1996 पेज संख्या 471, जगदीश बनाम स्टेट रिविजन नम्बर 104/95/एलआर/जयपुर निर्णय दिनांक 25.04.1996 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चांग तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.0126 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मंगरी की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा पक्की दुकानें बना कर अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अपील के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर पक्की दुकानों का निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार सेन्दडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार सेन्दडा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया एवं जुर्माना अधिरोपित करते हुए बेदखली के आदेश पारित किये। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का पक्का कब्जा होना जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का चांग द्वारा उप तहसीलदार सेन्दडा के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 06.02.2020 को भी जैर अपील की प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा था। अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 2054 रकबा 0.0126 भूमि पर स्वयं का अतिक्रमण होना स्वीकार किया। अतिक्रमण नही हटाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर निगरानी आदेश पारित किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार सेन्दडा द्वारा प्रकरण संख्या 187/2020 बअनवान सरकार बनाम मदन में पारित आदेश दिनांक 11.02.2020 को यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली